छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 439/2006</u>

श्री राजकुमार नायडू,
सहकारी निरीक्षक,
कार्यालय–पंजीयक सहकारी
समितियां, रायपुर (छत्तीसगढ़) .... आवेदक

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय–पंजीयक सहकारी
समितियां, रायपुर (छत्तीसगढ़) .... अनावेदक

:: आदेश ::
(29 जनवरी 2007)

श्री राजकुमार नायडू के द्वारा छ.ग. सूचना आयोग को शिकायत प्रस्तुत की गई कि उसके द्वारा दिनांक 08.06.2006 के द्वारा पंजीयक सहकारी समितियां, रायपुर से श्री महामाया गृह निर्माण सहकारी समिति, रायपुर के अध्यक्ष श्री विनय नामपल्लिवार एवं संस्था के संबंध में दस बिन्दुओं पर जानकारी चाही। आयोग के द्वारा संबंधित पक्षकारों को नोटिस दिया गया। पंजीयक सहकारी समितियां, छ.ग. की ओर से श्रीमती सावित्री भगत ने उपस्थित होकर बतलाया कि जानकारी स्वयं पंजीयक कार्यालय रायपुर से चाही गई है अतः उन्हें नोटिस दी जावे। दिनांक 14.09.2006 को आयोग के द्वारा बतलाया गया कि जिन बिन्दुओं की जानकारी नहीं दी गई, उनकी जानकारी अब निःशुल्क दी जावे। दिनांक 19.01.2006 को जन सूचना अधिकारी श्री एस.एल. ध्रुव उपस्थित हुए तथा उसके द्वारा बतलाया गया कि कक्ष प्रभारी गृह निर्माण श्री एस.पी. कोसरिया के द्वारा जानकारी न दिए जाने से विलंब हुआ। अतः आयोग के द्वारा श्री कोसरिया को रू. 20,000/– का अर्थदण्ड क्यों न आरोपित किया जावे, का नोटिस जारी किया गया। श्री कोसरिया के द्वारा दिनांक 09.01.2007 को जवाब प्रस्तुत किया गया। आवेदक ने भी अप्राप्त जानकारियों की सूची प्रस्तुत की।

2/ आयोग के द्वारा आवेदक एवं अनावेदकों के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं जवाब का अवलोकन किया गया। आवेदक के द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.06.2006 में श्री महामाया गृह निर्माण सहकारी समिति के विरूद्ध प्राप्त अनियमितओं के ज्ञापन की प्रमाणित प्रतिलिपियां, संस्था के पंजीयन वर्ष से अब तक के अंकक्षकों की सूची, संस्था के द्वारा छपाये गये मनी रसीद बुक के उपयोग, संस्था के पंजीयन वर्ष से अब तक की कैश बुक का लेखन, संस्था के अध्यक्ष के छोटे भाई के द्वारा लिखे जाने, श्री संजय नामपल्लिवार के द्वारा रायपुर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, रायपुर का कानूनी

सलाहकार नियुक्त करने एवं भुगतान की गई राशि की जानकारी, श्री नामपल्लिवार के द्वारा संस्था का आवेदक के द्वारा प्रभार ग्रहण करने हेतु लिखे गए पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि, श्री आशुतोष दुबे द्वारा जमा कराये गये चेक की जानकारी आदि की प्रतियां चाही थीं। संयुक्त पंजीयक कार्यालय रायपुर के जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपने जवाब में बतलाया गया कि बिन्दु कं. 2 एवं 3 की जानकारी सहायक पंजीयक आडिट से प्राप्त होने पर आवेदक को पत्र दिनांक 06.07.2006 के द्वारा प्रेषित की गई। बिन्दु कं. 4, 5, 7, तथा 8 की जानकारी संयुक्त पंजीयक कार्यालय से प्राप्त होने पर आवेदक को दी गई। रायपुर को–आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के प्राधिकृत अधिकारी श्री संजय नामपल्लिवार के द्वारा दी गई जानकारी आवेदक को दी गई। उसने दी गई जानकारी में यह भी उल्ल्खे किया कि उसने अपने पिता को कानूनी सलाहकार नियुक्त नहीं किया और न ही कोई भुगतान किया। उसके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि आवेदक श्री राजकुमार नायडू के द्वारा संस्था के सेंविग खाते से सात लाख रूपए निकालने की कोशिश की गई। आवेदक राजकुमार नायडू के द्वारा अनाधिकृत रूप से संस्था के भूखंड की रजिस्ट्री की गई। उनके द्वारा की गई अनियमितता के संबंध में उनके विरूद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट थाना सरस्वती नगर में लिखाई गई है। कक्ष प्रभारी गृह निर्माण श्री एस.पी. कोसरिया के द्वारा अपने जवाब में बतलाया गया कि उसे महामाया गृह निर्माण सहकारी समिति के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच हेतु आदेश दिया गया था, जांच प्रतिवेदन उसके द्वारा दिनांक 15.12.2006 को प्रस्तुत किया गया जिसकी कि प्रतिलिपि दिनांक 27.12.2006 को आवेदक को उपलब्ध कराई गई। संस्था के द्वारा समय–समय पर दी गई जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराई गई। जन सूचना अधिकारी तथा कक्ष प्रभारी गृह निर्माण शाखा के द्वारा उपलब्ध जानकारियां आवेदक को प्रदान की गई। आवेदक के आवेदन पत्र से भी यह स्पष्ट है कि उसके द्वारा आवेदन में बिन्दु क. 8 के संबंध में कोई जानकारी नहीं मांगी वरन् संजय नामपल्लिवार के द्वारा संस्था कार्यालय में ताला लगाने का उल्लेख किया। बिन्दु क. 10 में भी अस्पष्ट रूप से शिकायत है। बिन्दु क. 6 भी स्पष्ट नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि स्वयं आवेदक को संस्था में की गई अनियमितताओं के संबंध में निलंबित किया गया है तथा उसके विरूद्ध जांच प्रारंभ है। आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 08.06.2006 में जानकारी के साथ–साथ आरोप भी संस्था के प्राधिकृत अधिकारी श्री नामपल्लिवार के विरूद्ध लगाये गये हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक ने एक ही आवेदन पत्र में महामाया गृह निर्माण सहकारी समिति तथा रायपुर गृह निर्माण समिति की जानकारी मांगी। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि कार्यालय में उपलब्ध जानकारियां आवेदक को दी गई हैं। बिन्दु क. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 की जानकारी आवेदक को दी जा चुकी है। बिन्दु क. 8 एवं 10 स्पष्ट नहीं है।

3/ उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा मांगी गई जानकारियां पर्याप्त रूप में आवेदक को दी जा चुकी है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना अधिकारी के संरक्षण एवं कार्यालय में प्राप्त अभिलेख की ही जानकारी दी जा सकती है। संयुक्त पंजीयक सहकारी समितियां रायपुर के द्वारा संबंधित सहकारी गृह निर्माण समितियों से भी जानकारी बुलाकर आवेदक को दी। अतः यह नहीं माना जा सकता कि जन सूचना अधिकारी अथवा कक्ष प्रभारी गृह निर्माण के द्वारा जानबूझकर अथवा द्वेषवश जानकारी देने में विलंब किया गया। आवेदक के द्वारा स्वयं प्राधिकृत अधिकारी

के रूप में अनियमितताऐं की गई जिसके कि संबंध में उसे निलंबित कर विभागीय जांच लंबित है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक अपने विरूद्ध की गई कार्यवाही से नाराज होकर उसके बाद संस्था के संचालन हेतु बनाये गए प्राधिकृत को दोषी मानकर उनके विरूद्ध आरोप लगाकर जानकारी मांगने के नाम पर अनावश्यक कार्यवाही करना चाहता है। अतः जानकारी दिए जाने में दुर्भावना न होने के फलस्वरूप कक्ष प्रभारी गृह निर्माण को जारी किया गया अर्थदण्ड का नोटिस निरस्त किया जाता है।

4/ आवेदक की यह शिकायत नस्तीबद्ध की जाती है।

हस्ता0/– 29–01–2007
(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त